
अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अध्याय 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे है जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2015-16 के दौरान 79 अनुदानों एवं विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015-16 के लिए मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)									
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)	समर्पित राशि	31 मार्च को समर्पित राशि	31 मार्च तक समर्पित राशि से बचत का प्रतिशत (कॉल. 6 / कॉल. 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
दत्तमत	I-राजस्व	1,01,027.10	19,342.71	1,20,369.81	91,242.33	(-)29,127.48	14,110.82	12,911.49	48.44
	II-पूंजीगत	18,637.76	3,257.62	21,895.38	16,886.37	(-)5,009.01	3,671.55	3,243.71	73.30
	III-ऋण एवं अग्रिम	4,232.58	1,248.29	5,480.87	3,159.84	(-)2,321.03	1,595.56	1,375.94	68.74
योग दत्तमत		1,23,897.44	23,848.62	1,47,746.06	1,11,288.54	(-)36,457.52	19,377.93	17,531.14	53.15
प्रभारित	IV-राजस्व	9,327.26	667.22	9,994.48	9,606.96	(-)387.52	79.99	79.53	20.64
	V-पूंजीगत	96.38	0.43	96.81	58.39	(-)38.42	1.12	1.12	2.92
	VI-लोक ऋण-पुनर्भूगतान	8,773.17	-	8,773.17	4,860.36	(-)3,912.81	-	-	-
योग प्रभारित		18,196.81	667.65	18,864.46	14,525.71	(-)4,338.75	81.11	80.65	1.87
आकस्मिकता निधि से विनियोग		-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग		1,42,094.25	24,516.27	1,66,610.52	1,25,814.25	(-)40,796.27	19,459.04	17,611.79	47.70

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे)

₹ 40,796.27 करोड़ की समग्र बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 74 अनुदानों एवं 42 विनियोगों और पूंजीगत अनुभाग के अधीन 54 अनुदानों एवं सात विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 24,516.27 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किए गए जो कि मूल प्रावधानों के 17.25 प्रतिशत थे। वर्ष 2015-16 के दौरान

₹ 1,66,610.52 करोड़ के कुल बजट प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुई थी, जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाती हैं।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि विभागीय प्रस्तावों की भली भांती जांच के पश्चात अनुपूरक अनुदान के लिए प्रावधान किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी उत्तर दिया कि बचतों के बेहतर अधिमूल्यन के लिए पुनरीक्षित अनुमान आंकड़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

तथ्य यह है कि अनुदानों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुपूरक बजट से अधिक थीं। इसके अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान, आवश्यकताओं की उपयुक्त जांच पर आधारित नहीं थे एवं कांडिका 2.3.6 के विवरणानुसार अनावश्यक/अधिक सिद्ध हुए।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग-सारभूत बचतें

विनियोग लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹ 40,796.27 करोड़ की कुल बचतों में से, 36 प्रकरणों में ₹ 100 करोड़ एवं उससे अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सारभूत बचतें कुल ₹ 33,601.88 करोड़ (82.36 प्रतिशत) हुई, जो तालिका 2.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.2: ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व-दत्तमत							
1	06-वित्त	13,569.63	4.86	13,574.49	7,959.81	5,614.68	41.36
2	07-वाणिज्यिक कर	2,573.73	15.30	2,589.03	1,815.69	773.34	29.87
3	08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	1,247.42	-	1,247.42	911.81	335.61	26.90
4	10-वन	2,241.44	167.51	2,408.95	1,764.97	643.98	26.73
5	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1,881.23	1,647.52	3,528.75	1,292.86	2,235.89	63.36
6	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,323.25	66.68	2,389.93	1,606.53	783.40	32.78
7	17-सहकारिता	498.94	863.41	1,362.35	908.89	453.46	33.29
8	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6,977.23	75.21	7,052.44	5,595.55	1,456.89	20.66
9	30-ग्रामीण विकास	553.00	5.15	558.15	428.24	129.91	23.28
10	38-आयुष	369.26	40.43	409.69	292.40	117.29	28.63
11	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	1,133.83	468.97	1,602.80	1,242.65	360.15	22.47
12	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	5,908.07	267.72	6,175.79	3,997.01	2,178.78	35.28
13	44-उच्च शिक्षा	1,725.01	161.00	1,886.01	1,393.78	492.23	26.10
14	47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	534.29	22.27	556.56	410.78	145.78	26.19
15	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	449.72	121.75	571.47	454.09	117.38	20.54
16	52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	3,332.95	93.99	3,426.94	2,186.62	1,240.32	36.19
17	53-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	280.07	25.00	305.07	186.38	118.69	38.91
18	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	3,847.68	385.84	4,233.52	2,792.65	1,440.87	34.03
19	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	880.45	269.00	1,149.45	777.87	371.58	32.33
20	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	641.10	2.90	644.00	440.67	203.33	31.57

स.क्र.	अनुदान/ विनियोग की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
21	71-सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	138.00	942.00	1,080.00	729.67	350.33	32.44
22	74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	11,124.35	3,927.88	15,052.23	11,344.34	3,707.89	24.63
23	77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2,364.14	9.50	2,373.64	1,577.79	795.85	33.53
पूँजीगत-दत्तमत							
24	06-वित्त	181.05	-	181.05	43.79	137.26	75.81
25	12-ऊर्जा	3,732.56	201.91	3,934.47	2,532.49	1,401.98	35.63
26	17-सहकारिता	232.30	390.00	622.30	167.75	454.55	73.04
27	22-नगरीय विकास एवं पर्यावरण	271.24	-	271.24	138.33	132.91	49.00
28	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	233.50	137.21	370.71	241.25	129.46	34.92
29	30-ग्रामीण विकास	1,508.55	-	1,508.55	1,166.56	341.99	22.67
30	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	114.20	23.82	138.02	19.77	118.25	85.68
31	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2,699.30	690.74	3,390.04	2,291.83	1,098.21	32.40
32	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	855.13	-	855.13	653.40	201.73	23.59
33	48-नर्मदा घाटी विकास	1,640.48	सांकेतिक	1,640.48	1,038.32	602.16	36.71
34	64-अनुसूचित जाति उपयोजना	2,488.64	549.82	3,038.46	2,200.73	837.73	27.57
35	71-सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	137.00	431.00	568.00	402.79	165.21	29.09
पूँजीगत-प्रभारित							
36	पी.डी.-लोक ऋण	8,773.17	-	8,773.17	4,860.36	3,912.81	44.60
योग		87,461.91	12,008.39	99,470.30	65,868.42	33,601.88	33.78

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेख)

71 प्रकरणों में, सारभूत कुल बचतें ₹ 36,004.11 करोड़ थीं। प्रत्येक प्रकरण में, बचतें ₹ 10 करोड़ तथा उससे अधिक एवं संबंधित बजट प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.1)। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदानों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 123 योजनाओं में सारभूत बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ या अधिक) पाई गईं जो कि ₹ 4,000 करोड़ तक की थीं। विवरण परिशिष्ट 2.2 (क) में दिए गए हैं।

2.3.2 सतत बचतें

12 प्रकरणों में, विगत पाँच वर्षों 2011-12 से 2015-16 के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की सतत बचतें हुईं थीं जिन्हें तालिका 2.3 में दिखाया गया है।

तालिका 2.3: अनुदानों/विनियोगों जिनके अंतर्गत 2011-16 के दौरान सतत बचतें हुईं (₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
राजस्व-दत्तमत						
1	16-मछली पालन	13.04 (21.53)	12.25 (21.43)	17.77 (26.78)	26.88 (36.16)	19.11 (27.19)
बचत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के अंतर्गत हुईं।						
2	31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	386.39 (84.12)	211.54 (75.54)	121.62 (50.42)	195.23 (73.02)	81.14 (54.35)
बचत मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं एवं 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अंतर्गत हुईं।						
3	38-आयुष	76.08 (30.99)	136.12 (39.55)	169.39 (44.55)	234.29 (50.87)	117.29 (28.63)
बचत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत हुईं।						
4	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	109.64 (97.52)	2.67 (51.84)	3.82 (50.73)	6.22 (51.53)	6.24 (53.70)
बचत मुख्य शीर्ष 2705-कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत हुईं।						

स. क्र.	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
5	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	70.36 (47.28)	107.00 (67.10)	180.56 (90.28)	113.16 (78.82)	15.86 (27.66)
बचत मुख्य शीर्षो 2405-मछली पालन एवं 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हुई।						
राजस्व-प्रभारित						
6	06-वित्त	14.23 (96.28)	12.93 (52.18)	13.24 (89.64)	12.40 (83.90)	15.53 (89.87)
बचत मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाम के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-दत्तमत						
7	06-वित्त	1,501.78 (92.80)	1,374.53 (95.53)	234.74 (81.98)	141.27 (30.01)	137.26 (75.81)
बचत मुख्य शीर्षो 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
8	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	1.12 (25.00)	13.06 (49.73)	34.85 (71.41)	24.97 (21.44)	129.46 (34.92)
बचत मुख्य शीर्ष 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
9	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2.50 (85.62)	2.50 (76.69)	2.50 (100)	2.50 (100)	3.00 (100)
बचत मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत हुई।						
10	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	258.29 (41.71)	249.71 (35.44)	211.00 (51.63)	120.56 (32.65)	62.41 (22.00)
बचत मुख्य शीर्षो 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
11	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	41.39 (38.11)	45.79 (32.98)	91.29 (49.98)	75.72 (40.33)	68.62 (28.48)
बचत मुख्य शीर्षो 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-प्रभारित						
12	लोक ऋण	3,650.31 (53.68)	3,903.17 (52.13)	4,018.05 (50.08)	4,256.48 (46.38)	3,912.80 (44.60)
बचत मुख्य शीर्षो 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण एवं 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अप्रिम के अंतर्गत हुई।						

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

सतत बचतों से प्रदर्शित हुआ कि बजट अनुमान वास्तविक रूप से तैयार नहीं किए गए थे एवं संबंधित विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावशाली नहीं थे।

2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

39 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹ 4,476.36 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय, प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और प्रत्येक योजना के लिए किए गए प्रावधानों के 20 प्रतिशत से भी अधिक था। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 (ख) में दिया गया है।

2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

81 प्रकरणों में, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 13,374.82 करोड़ अप्रयुक्त रहा। जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 (ग) में दिया गया है।

2.3.5 विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष 2003-04 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2014-15 से संबंधित राशि के ₹ 918.09 करोड़ अधिक व्यय को परिशिष्ट 2.3 में दिए गए विवरणों के अनुसार अब भी नियमित किया जाना है। नियमितीकरण हेतु लंबित अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सारांश तालिका 2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.4: विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		अधिक व्यय	नियमन की स्थिति (31 अक्टूबर 2016 की स्थिति में)
	अनुदान	विनियोग		
1	2	3	4	5
2003-04	04	03	2.54	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2004-05	13	02	83.66	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2005-06	04	02	37.58	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2006-07	02	01	35.99	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2008-09	02	02	5.80	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2009-10	04	निरंक	123.96	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2010-11	निरंक	02	12.62	अनुदान संख्या 23 (राजस्व प्रभारित) के संदर्भ में ₹ 0.02 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2011-12	04	02	135.10	अनुदान संख्या 33 के संदर्भ में ₹ 10.88 करोड़ को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए।
2012-13	निरंक	02	0.24	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2013-14	02	01	34.32	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
2014-15	03	03	446.28	संबंधित विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए गए।
योग	38	20	918.09	

वर्षों से अनुदानों/विनियोगों के अधीन प्रावधान से आधिक्य का नियमितीकरण न किया जाना अनुदानों/विनियोगों पर विधायी नियंत्रण की विफलता है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि वर्ष 2002-2003 तक के अधिक व्यय को नियमित किया जा चुका था। लोक लेखा समिति की अनुसंशाओं के अनुसार अन्य प्रकरणों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी।

तथ्य यह है कि अधिक व्यय का नियमितीकरण कई वर्षों से लंबित था।

2.3.6 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

अनुदानों/विनियोगों के 54 प्रकरणों में, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए कुल ₹ 6,089.83 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक पूर्ण रूप से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल प्रावधान से कम था। विवरण परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

27 प्रकरणों में ₹ 9,945.92 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 17,980.89 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुयी जिनका कुल योग ₹ 8,034.97 करोड़ था, को परिशिष्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। हमने 46 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग या समर्पण देखा, जिसके परिणामस्वरूप 12 अनुदानों (14 प्रकरणों) के संबंध में प्रत्येक

प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुईं एवं 17 अनुदानों (32 प्रकरणों) के संबंध में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का आधिक्य भी हुआ। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.8 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में प्रत्याशित बचतों का विवरण पत्रक 15 जनवरी तक वित्त विभाग को आवश्यक रूप से सौंपना होता है।

वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर, 32 प्रकरणों (18 अनुदानों एवं पांच विनियोगों में) जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) हुईं लेकिन संबंधित विभागों द्वारा इनके किसी भी भाग को समर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 6,729.45 करोड़ (कुल बचतों ₹ 40,796.27 करोड़ का 16.49 प्रतिशत) थी (**परिशिष्ट 2.7**)।

113 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 17,329.84 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) की कुल बचतों का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को किया गया, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि सभी विभागों को स्थाई आदेश जारी कर दिए गए थे एवं इन आदेशों का पुनः जारी किया जाएगा।

2.3.9 निधियों के पुनर्विनियोग/समर्पण की दोषपूर्ण स्वीकृतियां

राज्य सरकार के अनुदेशों (फरवरी 2012) एवं इसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए, (ii) योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए, (iii) एक अनुदान से दूसरे अनुदान में पुनर्विनियोजन अनुमत्य नहीं है, (iv) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग स्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में ₹ 2,501.27 करोड़ की पुनर्विनियोग या समर्पण की कुल 66 स्वीकृतियां (32 अनुदान/विनियोग के अंतर्गत) वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की गई थीं अतः इन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में शामिल किए जाने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.9** में दिया गया है।

2.3.10 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, व्यय की अत्यधिकता विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम माहों में साधारणतया वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।

हमने पाया कि 26 अनुदानों/विनियोगों के 49 प्रकरणों¹ में ₹ 4,497.24 करोड़ (इन अनुदानों/विनियोगों के अधीन कुल व्यय का 87 प्रतिशत) वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किए गए। इनमें से ₹ 4,463.11 करोड़ का व्यय मार्च माह में किया गया था। प्रत्येक प्रकरण में कुल व्यय की तुलना में माह मार्च के दौरान किए गए व्यय का प्रतिशत 50 से 100 के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है। इससे त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन दर्शित हुआ जिसके कारण व्यय का एकरूप प्रवाह नहीं बनाए रखा जा सका, जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

¹ जहां अंतिम तिमाही में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ।

2.3.11 निधियों का आहरण एवं सिविल जमा में रखना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 284 के प्रावधान के अनुसार, कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की आवश्यकता न हो।

2015-16 के दौरान, 31 मार्च 2016 को ₹ 54.01 करोड़ आहरित किए गए थे एवं लेखे में संबंधित योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दर्शाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किए गए थे, जैसा कि परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है। इस प्रकार, निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशियों को आवश्यकता से अधिक आहरित किया गया, जो कि संहितागत प्रावधान के प्रतिकूल है।

निर्गम सम्मेलन (दिसम्बर 2016) के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि सिविल जमा में निधियों को रखे जाने को हतोत्साहित किया गया था। समेकित निधि से लोक लेखे में अंतरण केवल अपवादात्मक प्रकरणों में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 31 मार्च 2016 को निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, निधियों को सिविल जमा शीर्षों में जमा किया गया था।

2.3.12 बिना प्रावधान के किए गए व्यय

हमने देखा कि ₹ 0.20 लाख शीर्ष '6003-101-002-11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2001' के अधीन एवं ₹ 0.29 लाख शीर्ष '6003-101-8134-11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011' के अधीन (प्रभारित अनुदान-लोक ऋण में) का व्यय बजट अनुमानों में प्रावधान किए बिना किया गया था। बिना किसी प्रावधान के इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए थे (नवम्बर 2016)।

2.3.13 अवास्तविक बजट अनुमान

मध्य प्रदेश शासन बजट नियमावली खंड-1 (भाग ब) की कंडिका बी-7 एवं 8 के अनुसार, समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए व्यय एवं प्राप्तियों के अनुमान को संग्रहित करने के साथ ही साथ आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त की जाने वाली बजटोत्तर निधियों के अनुमानों की तैयारी एवं व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के उत्तरदायी है। बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार सभी अनुमानों को संग्रहित करना एवं व्यय तथा प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए इनकी समीक्षा करना चाहिए।

विनियोग लेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि सात योजनाओं (जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी) में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः ₹ 2,259.38 करोड़, ₹ 2,210.35 करोड़ एवं ₹ 2,134.24 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहा। इससे यह दर्शित होता है कि बजट प्रावधान बिना वास्तविक आवश्यकता के तदर्थ आधार पर तैयार किए गए थे। विवरण परिशिष्ट 2.12 में दिए गए हैं।

2.3.14 पूंजीगत अनुभाग एवं राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

लेखांकन एवं सहायतानुदान के वर्गीकरण के संबंध में भारत सरकार लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.)-2 के अनुसार अनुदानदाता द्वारा संवितरित की गई सहायतानुदानों को अनुदानदाता के वित्तीय विवरणों में, इस बात पर विचार किए बिना कि जिस भी उद्देश्य के लिए निधियां संवितरित की गई थी, राजस्व व्यय के रूप में लेखांकन एवं वर्गीकृत किया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के

राष्ट्रपति द्वारा केवल विशिष्ट रूप से प्राधिकृत प्रकरणों में, इन्हें सरकार के वित्तीय विवरणों में लेखे के पूंजीगत शीर्ष के नामे किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन मुख्य शीर्षों में ₹ 370.59 करोड़ के सहायता अनुदान पूंजीगत व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, शासकीय लेखाकरण नियम 1990 के नियम 30(1) के अनुसार मौटे तौर पर पूंजीगत प्रकृति का व्यय सारभूत एवं स्थाई प्रकार की प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों की वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया व्यय कहा जायेगा। पूंजीगत प्रकृति के व्यय को शासकीय लेखों में राजस्व व्यय से अलग रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार मुख्य शीर्षों में ₹ 39.86 करोड़ संधारण के लिए पूंजीगत व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे, जहां प्रत्येक प्रकरण में बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक थे। विवरण **परिशिष्ट 2.13 (क)** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 19 मुख्य शीर्षों में ₹ 678.92 करोड़ मशीनरी के लिए एवं दो मुख्य शीर्षों में वृहद् कार्य के लिए ₹ 3.17 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे, जहां प्रत्येक प्रकरण में बजट प्रावधान ₹ एक करोड़ या अधिक थे। विवरण **परिशिष्ट 2.13 (ख)** में दिए गए हैं।

2.3.15 जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए बजट आवंटन की बचतों को समर्पित नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 8.3.10 में निर्देशानुसार, बचतों के व्यपगत होने का पूर्वानुमान होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी को स्वविवेक पर उपलब्ध अनुदानों के भागों या विनियोगों, जिनकी वर्ष के दौरान आवश्यकता की संभावना नहीं है, को समर्पण करना होता है। बचतों का पूर्वानुमान होने पर बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रत्याशित बचतों का पूर्ण विवरण कारण सहित तत्काल वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करना चाहिए, यदि इन बचतों की उसी अनुदान के कुछ अन्य शीर्ष के अंतर्गत निधियों की प्रत्याशित अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने हेतु जरूरत न हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान क्रमांक 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के अंतर्गत, अनुदान क्रमांक 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं 64—अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना योजना के लिए क्रमशः ₹ 10 करोड़, ₹ 11.20 करोड़ एवं ₹ नौ करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे 30 जून 2015 को बंद कर दिया गया था। इन अनुदानों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों को 31 मार्च 2016 को समर्पित किया गया था। जबकि बजट नियमावली के अनुसार सम्पूर्ण प्रावधान को जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना योजना के बंद करने के पश्चात तत्काल समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। यह नियंत्रक विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा का परिणाम

विधानसभा में अनुदानों की मांगों पर मतदान होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि से सभी प्रकार के धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विनियोग विधेयक पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, विनियोग अधिनियम और संलग्न अनुसूचियों में दर्शाई गई राशियाँ, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान मानी जाती है।

हमने दो अनुदानों अर्थात् अनुदान क्रमांक 27—स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) एवं अनुदान क्रमांक 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित व्यय पर नियंत्रण तथा बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा की (जुलाई—अगस्त 2016)। आयुक्त, राज्य शिक्षा

केन्द्र, भोपाल एवं लोक निदेश संचालनालय भोपाल, मध्य प्रदेश अनुदान क्रमांक 27 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं। संचालक, तकनीकी शिक्षा (सतपुड़ा भवन), भोपाल, मध्य प्रदेश एवं संचालक, कौशल विकास, जबलपुर अनुदान क्रमांक 47 के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान प्रस्तुत करने की समय अनुसूची के संबंध में जारी निर्देशों (अगस्त 2013) के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनेत्तर एवं आयोजना व्यय के लिए अनुमान क्रमशः 17.10.2014 एवं 25.10.2014 तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करने थे। तथापि विभाग (अनुदान क्रमांक 27) के लिए बजट अनुमान स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) विभाग द्वारा वित्त विभाग को 22.11.2014 को प्रस्तुत किए गए थे एवं अनुदान क्रमांक 47 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा 25.10.2014 को वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए थे।

2.4.1 सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुदान क्रमांक 27 एवं 47 के अंतर्गत बजट, किए गए व्यय एवं बचत की राशियों के विवरण तालिका 2.5 में सारांशीकृत हैं।

तालिका 2.5: 2015-16 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुदान का विवरण	अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत का कुल अनुदान से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान क्रमांक 27	राजस्व (दत्तमत)	6,977.23	75.21	7,052.44	5,595.55	1,456.89	20.66
	पूँजीगत (दत्तमत)	233.50	137.21	370.71	241.25	129.46	34.92
अनुदान क्रमांक 47	राजस्व (दत्तमत)	534.29	22.27	556.56	410.78	145.78	26.19
	पूँजीगत (दत्तमत)	67.65	62.19	129.84	99.77	30.07	23.16
योग		7,812.67	296.88	8,109.55	6,347.35	1,762.20	21.73

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे)

इन अनुदानों की समीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

2.4.2 सतत बचतें

हमने देखा कि पिछले तीन वर्षों 2013-14 से 2015-16 के दौरान आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र एवं लोक निदेश संचालनालय, भोपाल, मध्य प्रदेश (अनुदान क्रमांक-27) एवं कौशल विकास विभाग (अनुदान क्रमांक-47) के वेतन एवं मजदूरी में सतत बचतें हुई थी। इन अनुदानों में बजट आवंटन, व्यय एवं बचत की राशि का वर्षवार विवरण तालिका 2.6 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 2.6: वेतन एवं मजदूरी के अंतर्गत सतत बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत/समर्पण	बचतों का प्रतिशत
अनुदान क्रमांक-27				
2013-14	128.59	100.06	28.53	22.19
2014-15	123.43	104.71	18.72	15.17
2015-16	131.68	108.83	22.85	17.35
योग	383.70	313.60	70.10	18.27
अनुदान क्रमांक-47				
2013-14	108.63	105.88	2.75	2.53
2014-15	138.19	129.96	8.23	5.96
2015-16	148.27	133.82	14.45	9.75
योग	395.09	369.66	25.43	6.44

(स्रोत: स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) विभाग एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े)

इस ओर इंगित किए जाने पर अनुदान क्रमांक 27 एवं 47 के बजट नियंत्रण अधिकारियों ने बताया था कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को न भरे जाने कारण बचतें हुई थी।

तथ्य यह है कि प्रावधान तदर्थ आधार पर किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान सतत बचतें हुई थी।

2.4.3 महत्वपूर्ण बचतें

हमने देखा कि 20 योजनाओं में, जहां बचतें ₹ पांच करोड़ या अधिक थी, ₹ 1,648.22 करोड़ की महत्वपूर्ण बचतें थी जो कि वर्ष 2015-16 के दौरान योजनाओं के अंतर्गत कुल अनुदान/विनियोग के 8.55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी। विवरण परिशिष्ट 2.14 में दिए गए हैं।

2.4.4 चयनित अनुदानों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान

अनुदान क्रमांक 27 के अंतर्गत चार प्रकरणों एवं अनुदान क्रमांक 47 के अंतर्गत दो प्रकरणों में विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) के अंतर्गत किया गया सम्पूर्ण प्रावधान कुल ₹ 31 करोड़ अप्रयुक्त रहा। विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न योजनाओं में अप्रयुक्त प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत की राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)					
1	2202-01-101-0801-6491-आई.डी.एम.आई. योजना अंतर्गत अनुदान	1.00	निरंक	1.00	100
2	2203-03-103-0101-7617-जबलपुर में विस्थापित भवन निर्माण (पी.एस.एम. परिसर)	5.00	निरंक	5.00	100
3	4202-01-201-0101-5776-सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत अपूर्ण शाला भवनों को पूर्ण किया जाना	20.00	निरंक	20.00	100
4	4202-02-105-0101-0067-अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई संस्थान, भोपाल	1.00	निरंक	1.00	100
47-तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास					
1	2203-001-0101-7469-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2.00	निरंक	2.00	100
2	2230-03-003-0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	2.00	निरंक	2.00	100
योग		31.00	निरंक	31.00	100

(स्रोत: वर्ष 2015-16 के विनियोग लेखे एवं विस्तृत विनियोग लेखे)

2.4.5 बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

अनुदान क्रमांक 47 के अंतर्गत 12 योजनाओं में वर्ष 2015-16 के दौरान उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों एवं उपकरण के अंतर्गत ₹ 14.80 करोड़ (जहाँ प्रावधान एक लाख या अधिक थे) के बजट प्रावधान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किए गए थे जबकि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों एवं उपकरणों की प्रकृति पूंजीगत अनुभाग से संबंधित है। उद्देश्य शीर्षवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट 2.15 में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई-अगस्त 2016) बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि उद्देश्य शीर्ष 63-मशीनों एवं उपकरणों के अंतर्गत प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किए गए थे। आगे बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि प्रकरण को वित्त विभाग की जानकारी में लाया जाएगा।

2.4.6 केंद्रीय निधियों का सिविल जमा में रखना

हमने अनुदान क्रमांक 27 (बजट नियंत्रण अधिकारी-2004) में देखा कि निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए केंद्र प्रवर्तित योजनाओं “जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए” के ₹ 68.65 लाख 31 मार्च 2016 को आहरित किए गए एवं लोक लेखे में शीर्ष 8443-सिविल जमा में अंतरित किए गए थे जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत वर्ष के व्यय बढ़े हुए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2016), बजट नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि कोषालय द्वारा मार्च 2016 के अंत में आहरण पर प्रतिबंध लगा दी गई थी जिसके कारण केंद्रीय निधियां वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात के-जमा (के-डिपोजिट) में रखी गई थी जिनका शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

तथ्य यह है कि वित्त वर्ष के अंत में सिविल जमा में निधियों के अंतरण के फलस्वरूप राज्य की समेकित निधि में राज्य के व्यय को बढ़ा हुआ बताया गया।

2.5 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

मूल एवं अनुपूरक अनुदानों के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

- वर्ष 2015-16 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 1,66,610.52 करोड़ के विरुद्ध ₹ 40,796.27 करोड़ (24.49 प्रतिशत) की बड़ी बचतें हुई थी। 36 प्रकरणों में (28 अनुदानों/विनियोगों) में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ एवं अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की कुल ₹ 33,602 करोड़ की समग्र बचतें हुई थी जो अनुपयुक्त बजट अनुमानों को दर्शाता है।

व्यय के उचित अनुवीक्षण द्वारा सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदानों के अनावश्यक प्रावधानों से बचा जाना चाहिए।

बचतों का विलम्ब से समर्पण/समर्पण में विफलता

- वर्ष के दौरान कुल बचतों का केवल 47.70 प्रतिशत (₹ 19,459 करोड़) समर्पित किया गया था। 113 प्रकरणों में, ₹ 17,330 करोड़ (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक) की बचतें वित्त वर्ष के अंतिम दिवस को समर्पित की गई थी, जिससे इन निधियों की अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग हेतु गुंजाइश नहीं बची।

सभी प्रत्याशित बचतों को समय से समर्पित किया जाना चाहिए ताकि निधियों का अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा सके।

आधिक्य व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

- पूर्व वर्षों के 38 अनुदानों एवं 20 विनियोगों से संबंधित ₹ 918.09 करोड़ के अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

2003-04 से लंबित आधिक्य व्यय का नियमितीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

सिविल जमा में रखने के लिए राज्य की समेकित निधि से निधियों का अंतरण

- निधियों को व्यपगत होने से बचाने के लिए, 31 मार्च 2016 को आहरित ₹ 54.01 करोड़ की निधियों को राज्य की समेकित निधि से लोक लेखे में

सिविल जमा में अंतरित किया गया था, जिससे राज्य की समेकित निधि के अंतर्गत उस वर्ष के लिए व्यय बढ़ा हुआ था।

वित्त वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त निधियों का राज्य की समेकित निधि से सिविल जमा में अंतरण के परिणामस्वरूप राज्य का व्यय बढ़ा हुआ बताता है जिससे बचा जाना चाहिए।